

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.12(10)नविवि/1/2019

जयपुर, दिनांक:- 03 मई, 2021

आदेश:-

नगरीय निकायों द्वारा संचालित किए जा रहे सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत लागू किए गए जन अनुशासन पखवाडा अवधि में नगरीय निकायों द्वारा संचालित किए जा रहे सामुदायिक भवनों का कोविड गाईडलाईन की पालना में आरक्षणकर्ताओं के द्वारा उपयोग नहीं लेने की स्थिति में निरस्तीकरण पर उनके द्वारा सम्पूर्ण जमा राशि पुनः लौटा दी जावे।

२१ मई ३.०५.२०२१

(राजपाल सिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय
नगरीय विकास विभाग



(दीपक नन्दी)

निदेशक, स्थानीय निकाय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

२१ मई ३.०५.२०२१

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय